रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 687] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 1996/अग्रहायण 6, 1918
No. 687] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 1996/AGRAHAYANA 6, 1918

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1996

**का. आ. 824 ( अ ).**—युनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ असम (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उल्फा" कहा गया है) और उसके विभिन्न विंगों का, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकवादी संगठनों से मिलकर सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत संघ से असम की "स्वतंत्रता" तथा उस क्षेत्र के समरुचि संगठनों से मिलकर भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और इसके परिणामस्वरूप असम का भारत संघ से विलग करना एक प्रव्यंजित उद्देश्य है :—

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि "उल्फा" :—

(1) असम को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए विभिन्न अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त है जिनका आशय भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता विच्छिन्न करना है या जिनसे भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखण्डता विच्छिन्न होती है,

(2) असम को स्वतंत्र कराने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड और बोडो सुरक्षा बल जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगमों में सम्मिलित है,

(3) अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसरण में हाल ही में उसकी विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषणा के चालू रहने के दौरान कई विधिविरुद्ध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में संलग्न रहा है।

और केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि विधिविरुद्ध और हिंसात्मक क्रियाकलापों के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) 24-5-94 से 27-10-1996 तक की अवधि के दौरान 152 हिंसात्मक और आतंकवादी घटनाएं "उल्फा" की मानी जा सकती हैं,

(ii) मुक्ति धन के लिए व्यपहरण के उसके कार्यों के अतिरिक्त, विशिष्टतया चाय सेक्टरों में उद्दापन क्रियाकलापों में लिप्त रहना,

(iii) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलाप जारी रखने के दौरान नए काडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक तथा शाखा समितियों को पुन: तैयार करने के लिए गुप्त रूप से किन्तु सुव्यस्थित रूप से आन्दोलन प्रारंभ करके निचले स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क का पुनर्निर्माण करने का कार्यक्रम प्रारम्भ करना,

(iv) संगठन का प्रचार खण्ड सक्रिय रहा है और उसने इकाई का लक्ष्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथित शोषण को उजागर करते हुए तथा लोगों को तथाकथित स्वतंत्रता संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते हुए चोरी छिपे इश्तहार, पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी भक्ति से विमुख होना,

(v) अपने काडरों को पुलिस भेदियों, सरकारी सहयोगियों और कांग्रेस (i) कार्यकर्ताओं की उनके विरुद्ध-प्रतिकरात्मक कार्रवाई के लिए कमजोर निशानों की पहचान करने के लिए सूची बनाने के लिए अनुदेश देना,

(vi) "उल्फा" के सेना विंग को सामान्य लोगों में मिल जाने और सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए अनुदेश देना,

(vii) बंगलादेश, भूटान और म्यांमार में शरण-स्थल और इन देशों में कई प्रशिक्षण शिविर स्थापित किये गये हैं। "उल्फा" अपने काडरों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षण के लिए भेज रहा है, जैसाकि कुछ गिरफ्तार किए गए "उल्फा" कार्यकर्ताओं द्वारा उद्घाटित किया गया है।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि उनके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर "उल्फा" के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर है और यह एक विधिविरुद्ध संगम है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967(1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट आफ असम और उसके विभिन्न विंगों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है।

केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि इस पर तुरन्त प्रतिबंध और नियंत्रण न लगाया गया तो इसे निम्नलिखित का अवसर मिल जाएगा :—

(1) अपनी अलगाववादी, ध्वन्सात्मक और आतंकवादी/हिंसात्मक क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अपने संवर्गों को गतिशील करने का,

(2) भारत की प्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता की शत्रु शक्तियों से दुरभिसंधि में राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का खुलेआम प्रचार करने का,

(3) अधिकाधिक नागरिकों की हत्याओं और पुलिस तथा सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने की घटनाओं में संलिप्त होने का,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से और अवैध आयुध और गोला बारूद उपाप्त करने और प्रवेश कराने का,

(5) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से विशाल निधियों का उद्दापन और अवैध करों का संग्रहण करने का।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित "उल्फा" के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए और "उल्फा" द्वारा हाल में हीं पुलिस, सशस्त्र बलों और सिविलियनों के विरुद्ध की गई निरन्तर और सदा बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि "उल्फा" को तत्कालिक प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तद्नुसार केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिसूचना का किसी ऐसे आदेश के, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, अधीन रहते हुए राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभाव होगा।

[फा. सं.-11011/24/96/-एन.ई.-4]

जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1996

**S.O. 824(E).**—Whereas the United Liberation Front of Asom and the various wings thereof, (hereinafter referred to as ULFA) has as its professed aim, the "Liberation" of Asssam from the Indian Union through an armed struggle, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region as well as to struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organisations of that region and thereby, the secession of Assam from the Indian Union;

And whereas, the Central Government is of the opinion that ULFA has —

(1) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the soverignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam.

(2) aligned itself with other unlawful associations like National Socialist Council of Nagaland and Bodo Security Force to liberate Assam.

(3) in pursuance of its aims and objectives, recently engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the unlawful and violent activities include—

(i) 152 violent and terrorist incidents which are attributed to ULFA during the period from 24-5-94 to 27-10-96;

(ii) indulging in a spate of extortion activities particularly among the tea sectors in addition to its acts of kidnapping for ransom;

(iii) embarking on a programme of restructuring its organisational network at grass root level by lauching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publicity wing of the organisation has remained active and has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators and Congress (I) activists, to identify soft targets for retaliatory action against them;

(vi) instructing the army wing of the ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;

(vii) sanctuaries in Bangladesh, Bhutan and Myanmar and has established a number of training camps in these countries. ULFA has been sending its cadres for training to Pakistan and Afghanistan as revealed by some of the arrested ULFA activists.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that on the basis of material placed before it, the activities of ULFA are detrimental to the soverignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Asom and its various wings to be an unlawful association.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the ULFA, it will take the opportunity to—

(1) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(2) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(3) indulge in increased killings of civilians and targetting of police and security forces personnel;

(4) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the borders;

(5) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities.

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of ULFA mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by the ULFA in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, it is necessary to declare ULFA to be an unlawful assocation with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that the notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. 11011/24/96-NE.IV]
G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996